राजस्थान सरकार

वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(4)वित्त/आब/2013 जयपुर, दिनांक: 12 अक्टूबर, 2021

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 155–वल्लभनगर जिला उदयपुर एवं 157–धरियावद (अ.ज.जा.) जिला प्रतापगढ के उप चुनाव, 2021 के लिये दिनांक 30.10.2021 को मतदान एवं दिनांक 02.11.2021 को मतगणना करवाये जाने का निर्णय लिया है।

अतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–ग के प्रावधानानुसार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 155–वल्लभनगर जिला उदयपुर एवं 157–धरियावद (अ.ज.जा.) जिला प्रतापगढ एवं इन निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के तीन किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाले 48 घंटों की अवधि अर्थात **दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 को सायं 6.00 बजे से दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 को मतदान समाप्ति तक अर्थात सांयकाल 06.00 बजे तक एवं मतगणना दिनांक 02 नवम्बर, 2021 को जिला मुख्यालय उदयपुर एवं प्रतापगढ की नगर पालिका/नगर परिषद क्षेत्र में तथा पुर्नमतदान की स्थिति में पुर्नमतदान की घोषणा से मतदान की तिथि को संबंधित मतदान केन्द्र/केन्द्रों के क्षेत्र में सायं 6.00 बजे** तक **सूखा दिवस** घोषित किया जाता है।

आज्ञा से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर को अशा.टीप क्रमांक प.8(2)(22) निर्वा./2018/5064 दिनांक 06.10.2021 एवं क्रमांक 5159 दिनांक 08.10.2021 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
6. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, (कम्प्यूटर सैल) वित्त विभाग।
8. जिला कलेक्टर, उदयपुर एवं प्रतापगढ।
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, उदयपुर ।
10. जिला आबकारी अधिकारी, उदयपुर एवं प्रतापगढ।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव